

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम) (छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल की एक उत्तरवर्ती कंपनी)

आम सूचना

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 एवं 86(1) में निहित प्रावधान एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा बनाए गए संबंधित टैरिफ विनियमों में निहित विभिन्न प्रावधानों के अनुसार पूर्व वर्ष 2015-16 के प्रोविजनल टू-अप एवं वर्ष 2017-18 के लिए पारेषण टैरिफ अवधारणा हेतु याचिका क्रमांक 65/2016(T) माननीय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

कंपनी द्वारा प्रस्तुत याचिका में वर्ष 2015-16 हेतु रु.55.78 करोड़ के राजस्व हानि के अनुमोदन हेतु प्रार्थना की गई है।

उपरोक्त याचिका की प्रतियां छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, सिंचाई कालोनी, शांति नगर, रायपुर के कार्यालय में तथा मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य एवं योजना) छराविपारेकमर्या रायपुर के कार्यालय में उपलब्ध है। याचिका की मुद्रित प्रति कार्यालयीन दिवसों में रु. 250/- का भुगतान कर प्राप्त की जा सकती है। याचिका की प्रति रु.50/- (डाक व्यय) का अतिरिक्त भुगतान कर डाक द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। याचिका की प्रति कंपनी की वेबसाईट www.cspc.co.in एवं आयोग की वेबसाईट www.cserc.gov.in पर भी उपलब्ध है।

उपरोक्त याचिका पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने हेतु इच्छुक पक्षकार अपनी आपत्ति/सुझाव इस आम सूचना के जारी होने के 21 दिनों के भीतर मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य एवं योजना) छराविपारेकमर्या रायपुर और/ या सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, सिंचाई कालोनी, शांति नगर, रायपुर के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। सुझाव/आपत्ति की अग्रिम प्रति फ़ैक्स द्वारा राज्य विद्युत नियामक आयोग को नंबर 0771-4073553 पर भेजी जा सकती है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, आपत्ति/सुझाव दर्ज कराने वाले पक्षकारों को अपना पक्ष रखने हेतु सुनवाई में सम्मिलित होने का अवसर दे सकता है। सुनवाई हेतु स्थल एवं दिनांक की सूचना आयोग द्वारा पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशित की जावेगी।

“स्वहित एवं राष्ट्रहित में ऊर्जा बचायें।”

मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य एवं योजना)